[2019] 8 एस. सी. आर 811

सतविंदर सिंह @सतविंदर सिंह सलुजा और अन्य

बनाम्

बिहार राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 951)

1 जुलाई, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्तिगण]

बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915:

धाराएँ 2 (17ए) और 53 (ए) [जैसा कि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया है]-सार्वजनिक स्थान पर शराब के सेवन का अपराध - संज्ञान लिया गयादंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन. कार्यवाही को रद्द करने के लिए-सर्वोच्च न्यायालय में अपील को खारिज करने के लिए-अवधारित-जिस वाहन में आरोपी यात्रा कर रहे थे, वह 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा के भीतर आएगा जैसा कि धारा 2(17ए) में परिभाषित किया गया है। हालाँकि, क्या शराब का सेवन बिहार राज्य के भीतर हुआ था, इस आरोप पर दंडाधिकारी द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है- दंडाधिकारी के समक्ष आरोपमुक्त करने हेतु/उक्त आरोपी आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 -धारा 37 (बी)।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अवधारित कियाः- 1.1 बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 2 (17) में निहित 'स्थान' की परिभाषा समावेशी परिभाषा है जिसमें विशेष रूप से "वाहन" शामिल है।जब 'स्थान' शब्द में वाहन शामिल होता है तो 'सार्वजनिक स्थान' शब्दों की व्याख्या उसी प्रकाश में

की जानी चाहिए। धारा 2 (17ए) जो परिभाषित करती है वह यह है कि 'सार्वजनिक स्थान' का अर्थ है कोई भी स्थान जहां जनता की पहुंच है, चाहे वह अधिकार के रूप में हो या नहीं और इसमें आम जनता द्वारा देखे जाने वाले सभी स्थान शामिल हैं और इसमें कोई भी खुला स्थान भी शामिल है।मुख्य शब्द हैं 'कोई भी स्थान जहां जनता की पहुंच है', जो वाक्यांश आगे वाक्यांश द्वारा योग्य है "चाहे वह अधिकार के रूप में हो या नहीं" के द्वारा व्याख्यायित है। [पैरा 21] [820-ए-सी]

1.2 बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 से पहले बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के तहत 'सार्वजनिक स्थान' की कोई परिभाषा नहीं थी। धारा 19 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.07.1978 में 'सार्वजनिक स्थान' शब्द को परिभाषित किया गया था।सार्वजनिक स्थान की वही परिभाषा बाद की अधिसूचनाओं दिनांक 27.03.1979 और 19.09.1980 में निहित थी।उपरोक्त अधिसूचनाओं में राज्य सरकार ने 'सार्वजनिक स्थान' को "जनता द्वारा उपयोग के लिए या जनता के लिए सुलभ किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया है और इसमें कोई भी सार्वजनिक परिवहन शामिल होगा।"यह स्पष्ट है कि अधिसूचना में निजी परिवहन को शामिल नहीं किया गया था और राज्य ने उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत 'निजी परिवहन' में किसी भी मादक पदार्थ को रखने और सेवन करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन उपरोक्त अधिसूचनाएं बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 के आद अब प्रासंगिक नहीं है, जिसे लागू करने के लिए बिहार उत्पाद शुल्क नीति, 2015 के कानुन में संशोधन लाया गया था। बिहार उत्पाद शुल्क नीति, 2015 राज्य द्वारा शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बनाई गई थी। [पैरा 23,24] [820-एफ-जी; 821-बी-डी]

1.3 अपीलार्थयो का निजी वाहन तब रोका गया जब वह सडक पर था। जब निजी वाहन सार्वजनिक सड़क से गुजर रहा हो तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जनता की कोई पहुंच नहीं है।यह सत्य है कि जनता की पहुँच निजी वाहन तक एक अधिकार के रुप में नहीं हो सकती लेकिन जब वह वाहन सार्वजनिक रोड पर हो तो जनता को वहाँ तक पहुँचने का अवसर है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस वाहन में अपीलकर्ता यात्रा कर रहे थे, वह बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 2 (17ए) में परिभाषित 'सार्वजनिक स्थान' की

परिभाषा के अंतर्गत नहीं आया था, जैसा कि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया है। [पैरा 22] [820-ई]

1.4 बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा लाई गई धारा 2 (17ए) की परिभाषा में सार्वजनिक परिवहन को हटाना यह भी इंगित करता है कि सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन के बीच के अंतर को वैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निजी परिवहन को धारा 2 (17ए) में निहित 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। [पैरा 25] [821-डी-ई]

मणिकंदन बनाम केरल राज्य (1999) 2 के. एल. टी. 592-संदर्भित।

ब्लैक लॉज़ डिक्शनरी-संदर्भित।

2. 'उपभोग' करता है शब्द एक सकर्मक क्रिया है। "उपभोग" करता है में उपभोग एक सकर्मक क्रिया है लेकिन जब इसका प्रयोग शराब के बाद किया जाय जो क्रिया द्वारा इंगित कार्य कर्ता से कम पर जाती है । यथा धारा 53(क) के अंतर्गत गठित अपराध के लिए शराब बिहार राज्य के भीतर ही शराब का सेवन का कार्य होना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे राज्य में शराब का सेवन करता है, उस पर तब तक धारा 53 (ए) के तहत जुर्माना नही लगाया जा सकता है जब तक कि यह साबित करने के लिए कुछ सबूत न हों कि आरोपी द्वारा शराब का सेवन बिहार राज्य में किया गया है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिहार राज्य के बाहर शराब का सेवन करता है और बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करता है और नशे में पाया जाता है या नशे की हालत में है, तो उस पर धारा 37 (बी) के तहत अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 में धारा 37 (बी) द्वारा अब किसी भी अपराध के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार, शराब का सेवन बिहार राज्य में होना चाहिए। हालाँकि, क्या यह आरोप कि बिहार राज्य के भीतर शराब का सेवन किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों में बनाया गया है, ऐसे प्रश्न हैं जिन पर दंडाधिकारी द्वारा आरोप पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री को देखने के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता है। न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह प्रावधान किया जाएगा कि अपीलार्थी दंडाधिकारी के समक्ष आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो

अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार आरोपमुक्त करने के उक्त आवेदन पर निर्णय लेगा। [पैरा 27,28] [822-एफ; 823-ए-ई]

कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज एवं एक अन्य बनाम मनोज कुमार और अन्य 2016 (4) पी. एल. जे. आर. 369-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

| | | |
|---|---|---|
| 2016 (4) पीएलजेआर 369 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 8 |
| (1999) 2 केएलटी 592 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 25 |

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 951/2019

2017 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 23009 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.02.2018 से।

राहुल श्याम भंडारी, आकाश सिन्हा, सुश्री भव्य विजय तंगरी, ए. शिवा, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

शिवम सिंह, गोपाल सिंह, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, न्यायमूर्ति

निर्णय

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16.02.2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें राजौली उत्पाद शुल्क मामला संख्या 316 में न्यायिक दण्डाधिकारी,

नवादा द्वारा दिनांक 30.04.2016 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2 की धारा 53 (ए) के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित अपीलकर्ता इस अपील में प्रस्तुत हुए हैं।

3. इस अपील को विनिश्चित करने के लिए मामले के आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता, सभी रोटेरियन, 25.06.2016 को रोटरी क्लब की बैठक में भाग लेने के लिए गिरिडीह, झारखंड से पटना, बिहार जा रहे थे।अपीलकर्ता वाहन संख्या जेएच 11 के/8146 से यात्रा कर रहे थे.वाहन को बिहार के नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट पर नियमित जांच के लिए शचिदानंद सिंह, अवर निरीक्षक उत्पाद ने रोक दिया।जिस वाहन में अपीलकर्ता यात्रा कर रहे थे, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक या शराब नहीं पाई गई।अपीलकर्ताओं का ब्रेन एनालाइजर टेस्ट किया गया जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार कुछ मात्रा में अल्कोहल पाया गया।अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और वे दो दिन तक हिरासत में रहे।पहली सूचना रिपोर्ट 25.06.2016 को दर्ज की गई थी, जिस पर 2016 का उत्पाद शुल्क मामला संख्या 316 दर्ज किया गया था।नवादा के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने दिनांक 30.07.2016 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया। अपीलार्थियों ने संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2016 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.02.2018 के अपने आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे यह अपील दायर की गई है।

4. हमने अपीलकर्ताओं के साथ-साथ बिहार राज्य की ओर से श्री शिवम सिंह के विद्वत वकील को सुना है।

5. अपीलार्थियों के विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा ५३ (क) के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लेने में एक त्रुटियां की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता

अपने वाहन में गिरिडीह, झारखंड राज्य से पटना, बिहार राज्य में एक रोटरी क्लब की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे. जिस वाहन में वे यात्रा कर रहे थे, उसे बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (17ए) के अर्थ में सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के संबंध में धारा 53 (ए) का घटक संतुष्ट नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तलाशी में शराब की कोई बोतल या कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में भी किया गया है। इसलिए, शराब का सेवन करने वाले अपराध का घटक संतुष्ट नहीं होता है।

6. अपीलार्थियों के विद्वत वकील ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 2 (54) के प्रावधान का उल्लेख किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान को परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई भी परिवहन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। इस प्रकार, बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 2 (54) के तहत एक निजी वाहन भी एक सार्वजनिक स्थान है, जिसकी परिभाषा बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 में नहीं थी. आगे- यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 37 में शराब के सेवन के लिए दंड का प्रावधान है जहां अब यह भी एक अपराध है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर नशे में पाया जाता है, जबकि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 53 में ऐसा कोई अपराध नहीं था। 'उपभोग' शब्द का निर्वचन वर्तमान सतत काल में किया जाएगा।

7. बिहार राज्य के विद्वत वकील ने अपीलार्थियों के विद्वत वकील की प्रस्तुति का खंडन करते हुए तर्क दिया कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 19 (4) के तहत निषेध लगाया जाता है, क्योंकि पूरे बिहार राज्य में निषेध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराध किया गया माना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों के वाहन को एक सार्वजनिक सड़क पर रोका गया था, इसलिए, अपीलार्थी अपने निवेदन में सही नहीं हैं कि उन्हें एक सार्वजनिक स्थान पर रोका नहीं गया था.यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 53 (ए) के घटक पूरी तरह से संतुष्ट हैं और संज्ञान लेने में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कोई त्रुटियां नहीं की गई है।

8. राज्य के विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत करते है कि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 19 (4) के तहत जारी निषेध को अधिरोपित करने वाली दिनांक 05.04.2016 की अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 30.09.2016 के अपने निर्णय के द्वारा भारतीय शराब पेय कंपनी परिसंघ और अन्य बनाम बिहार राज्य संघ और अन्य, (2016) के मामले में दिनांक 05.04.2016 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। मनोज कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2016 (4) पीएलजेआर 369, जिसे इस न्यायालय ने एसएलपी (सी) संख्या 29749 और 29763 में दिनांक 07.10.2016 के आदेश द्वारा रोक दिया है। बिहार राज्य और अन्य बनाम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज एंड एनआर आदि, जिसने बिहार में बाद की कानूनी स्थिति को उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 बहाल किया।

9. राज्य के विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों ने संज्ञान लेने के लिए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की क्षमता के बारे में केवल प्रतिवेदन दिया था जो अस्वीकार कर दिया।

10. हमने पक्षकारों के विद्वत वकील की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

11. हम तथ्यों को फिर से दोहराते हैं। अपीलकर्ता गिरिडीह से वाहन नं. जे एच 11 के/8146 से झारखंड से पटना, बिहार राज्य यात्रा कर रहे थे। उनके वाहन को रोका गया और राजौली, नवादा में तलाशी ली गई।वाहन की तलाशी में कोई उत्पाद शुल्क वस्तु बरामद नहीं की गई, लेकिन वाहन के अंदर बैठे व्यक्तियों का ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण किया गया और ड्राइवर और दो अन्य व्यक्तियों के संबंध में शराब नहीं मिली, लेकिन अपीलकर्ता के संबंध में शराब पाई गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।अतिरिक्त निरीक्षक, आबकारी द्वारा एक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 53 (ए) और संज्ञान 30.07.2016 को लिया गया था।

12. अब हम सुसंगत कानूनी के प्रति निर्देश कर सकते हैं। ऐसे प्रावधान जो 25 जून, 2016 को लागू थे। घटना के समय जो कानून प्रचलित था वह बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 था। 'स्थान' शब्द को अधिनियम, 1915 की धारा 2 (17) के तहत परिभाषित किया गया था जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

> "धारा 2 (17)" "स्थान" "में भवन, घर, दुकान, बूथ, बर्तन, बेड़ा, वाहन या टेंट शामिल है"

13. बिहार राज्य में यद्यपि बिहार प्रतिषेध अधिनियम, 1938 अधिनियमित किया गया था किंतु उक्त अधिनियम को लागू नहीं किया गया था।राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में नई आबकारी नीति, 2015 नाम से एक आबकारी नीति पेश की थी। नई आबकारी नीति में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण शराबबंदी के कार्यान्वयन पर विचार किया गया। नई आबकारी नीति, 2015 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिहार द्वारा बिहार आबकारी अधिनियम, 2015 में संशोधन किए गए थे। उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का बिहार अधिनियम 3) 31.03.2016 को राजपत्रित। धारा 2 (17ए) द्वारा 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गयाः

> “धारा 2 (17ए)-सार्वजनिक स्थान का अर्थ है कोई भी ऐसा स्थान जहां जनता की पहुंच हो, चाहे वह अधिकार के रूप में हो या नहीं और इसमें आम जनता द्वारा देखे जाने वाले सभी स्थान शामिल हैं और इसमें कोई भी खुला स्थान भी शामिल है।"

14. अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (4) को निम्नलिखित रीति से प्रतिस्थापित किया गयाः

> "उपधारा (4)-इस अधिनियम और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संपूर्ण बिहार राज्य में या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किसी विनिर्माता, बॉटलिंग प्लांट, लाइसेंस धारक या किसी व्यक्ति द्वारा सभी या किन्हीं मादक पदार्थों के संबंध में पूर्णतः या ऐसी शर्तों के

अधीन रहते हुए, जो वह विहित करे, उनके विनिर्माण, बॉटलिंग, वितरण, विक्रय, कब्जा या उपभोग को पूर्णतः प्रतिषिद्ध कर सकती है।"

15. बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के अध्याय 8 में बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा अपराध और दंड के संबंध में एक नई धारा 53 शामिल की गई है।बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 53 इस प्रकार हैः

"53. सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर जुर्माना - जो कोई भी इस अधिनियम या नियमों, अधिसूचना या आदेश का उल्लंघन करता है

(क) किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अनधिकृत स्थान पर शराब पीता है, या

(ख) किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अनधिकृत स्थान या किसी प्राधिकृत स्थान पर शराब का सेवन करता है और उपद्रव पैदा करता है या

(ग) नशे में धुत होने की अनुमति देता है या अपने परिसर में या शराब प्रतिष्ठान के परिसर में असामाजिक तत्वों के इकट्ठा होने की अनुमति देता है

दंडित किया जाएगा,

(1) (क) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के मामले में, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा।

(2) (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के मामले में, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने के साथ, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

(3) (ग) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के मामले में, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने के साथ, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।"

16. यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 19 उप-धारा (4) के तहत बिहार राज्य द्वारा विदेशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए दिनांक 05.04.2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी।दिनांक 01.04.2016 की अधिसूचना द्वारा देशी शराब पर प्रतिबंध पहले से ही लागू था।

17. राज्य विधानमंडल ने बिहार राज्य क्षेत्र में शराब और नशीले पदार्थों के पूर्ण निषेध को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए बिहार प्रतिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया। इस अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

"बिहार राज्य के क्षेत्र में शराब और नशीले पदार्थों के पूर्ण निषेध को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए एक अधिनियम और इससे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिए।

जबकि शराब और नशीले पदार्थों के निषेध और विनियमन से संबंधित एक समान कानून का प्रावधान करना समीचीन है, उस पर शुल्क का उद्ग्रहण और बिहार राज्य में कानून के उल्लंघन के लिए दंड।"

18. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 में 'स्थान' और 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा को निम्नलिखित प्रभाव से बदल दिया गया हैः

"धारा 2 (53)" "स्थान" घर, दुकान, नाव, बूथ, पोत, बेड़ा, वाहन, वाहन, वाहन या तंबू के आसपास का क्षेत्र" शामिल है"

"(54)" "सार्वजनिक स्थान" "से ऐसा कोई भी स्थान अभिप्रेत है जहां जनता की पहुंच है चाहे वह अधिकार के रूप में हो या नहीं और इसमें जनता द्वारा देखे जाने वाले सभी स्थान और कोई भी खुला स्थान या परिवहन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी"

19. परिभाषा खंड 2 (54) में किसी भी परिवहन, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो, को विशिष्ट रूप से शामिल किया गया है।धारा 53 के स्थान पर, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है, एक नया खंड अर्थात धारा 37 शामिल किया गया है, जिसमें शराब पीने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।अधिनियम, 2016 की धारा 37 इस प्रकार है:

> "धारा 37. शराब पीने के लिए जुर्माना - जो कोई भी इस अधिनियम या नियमों, अधिसूचना या आदेश का उल्लंघन करता है -
>
> (क) किसी स्थान पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन करता है, या
>
> (ख) किसी स्थान पर नशे में या पियक्कड़पन की स्थिति में पाया गया है. या
>
> (ग) शराब पीकर अपने घर या परिसर सहित किसी स्थान पर उपद्रव या हिंसा करता है या
>
> (घ) अपने घर या परिसर में शराब पीने की अनुमति देता है या शराब पीने वालों को इकट्ठा होने की अनुमति देता है
>
> दंडित किया जाएगा,
>
> (1) (क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के मामले में, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने के साथ, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा।
>
> (2) (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के मामले में, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के साथ, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

स्पष्टीकरण (क)- "मादक पदार्थ" के सेवन में किसी दवा या दवा के किसी घटक या औषधीय तैयारी का उपभोग शामिल है जिसका मादक प्रभाव हो सकता है।"

स्पष्टीकरण (ख) - "पियक्कड़पन" में किसी दवा या औषधीय तैयारी के कारण पियक्कड़पन शामिल है।"

20. अब हम पक्षकारों के विद्वत वकील द्वारा अपने-अपने मामलों के समर्थन में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

21. अपीलार्थियों के विद्वत वकील द्वारा उठाई गई पहली दलील यह है कि भले ही यह माना जाता है कि वे अपने निजी वाहन से यात्रा करते समय 25.06.2016 को नशे में थे, उनके वाहन को सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता है, इसलिए, धारा 53 (ए) लागू नहीं होगी। विद्वत अधिवक्ता ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 2 (54) की परिभाषा खंड में किसी भी परिवहन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, को विशिष्ट रूप से शामिल करने पर जोर दिया है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह अवधारणा संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 2 (17ए) द्वारा 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा में मौजूद नहीं थी। पहली बार में, अपीलकर्ताओं की प्रस्तुति सही प्रतीत होती है, लेकिन एक बारीकी से जांच करने पर हम उपर्युक्त प्रस्तुति की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं. यह सच है कि धारा 2 (17ए) में शामिल 'सार्वजनिक स्थान' की पूर्व परिभाषा में कोई भी परिवहन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, शामिल नहीं था, लेकिन हमें यह जांच करनी होगी कि क्या धारा 15 द्वारा 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा को शामिल किया गया है। हमने गौर किया है कि बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 2 (17) में 'स्थान' की जो परिभाषा दी गई है, वह समावेशी परिभाषा है जिसमें विशेष रूप से 'वाहन' शामिल है। जब 'स्थान' शब्द में वाहन शामिल हो तो 'सार्वजनिक स्थान' शब्दों की व्याख्या उसी दृष्टि से की जानी चाहिए।धारा 2 (17ए) में परिभाषित किया गया है कि 'सार्वजनिक स्थान' से आशय कोई भी ऐसा स्थान है जहां जनता की पहुंच है, चाहे वह अधिकार के रूप में हो या नहीं और इसमें आम जनता द्वारा देखे जाने वाले सभी स्थान शामिल हैं और इसमें कोई भी खुला स्थान भी शामिल है। "मुख्य शब्द हैं" "कोई भी स्थान जहां जनता की पहुंच है", कौन सा वाक्यांश आगे वाक्यांश द्वारा "सही है या नहीं" योग्य है। क्या जनता की निजी वाहनों तक पहुंच है

या नहीं, इस सवाल का जवाब देना होगा। 'पहुंच' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

> “पहुंच-अदालतों में प्रवेश करने, पहुंच बनाने, आने-जाने या संवाद करने का अधिकार, अवसर या क्षमता।"

22. हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपीलार्थियों का निजी वाहन उस समय रोका गया जब वह सार्वजनिक सड़क पर था.जब निजी वाहन किसी सार्वजनिक सड़क से गुजर रहे होते हैं तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक पहुंच नहीं है।यह सच है कि जनता को अधिकार के रूप में निजी वाहन तक पहुंच नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जनता को निजी वाहन से संपर्क करने का अवसर मिलता है जब वह सार्वजनिक सड़क पर होता है।इसलिए, हम इस प्रस्तुति को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि जिस वाहन में अपीलकर्ता यात्रा कर रहे हैं, वह बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (17ए) में परिभाषित 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

23. हम ध्यान दें कि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 से पहले बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के तहत 'सार्वजनिक स्थान' की कोई परिभाषा नहीं थी। हालांकि, बिहार राज्य द्वारा धारा 19 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 29 जुलाई, 1978 को जारी अधिसूचना में 'सार्वजनिक स्थान' शब्द को परिभाषित किया गया था।धारा 19 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य द्वारा दिनांक 29.07.1978 को जारी अधिसूचना में निम्नलिखित प्रावधान किए गएः

> “(एस. ओ. 941 दिनांक 29 जुलाई, 1978)
>
> (29 जुलाई, 19789 के बिहार राजपत्र अतिरिक्त सामान्य में प्रकाशित) - बिहार के राज्यपाल ने बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम II) की धारा 19 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश किए हैंः

1. (क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर रहते हुए किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर कोई नशीला पदार्थ नहीं रखेगा और न ही उसका सेवन करेगा, जिसे उसके उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त न हो। इस उद्देश्य के लिए एक सार्वजनिक स्थान का अर्थ है जनता द्वारा उपयोग के लिए आशयित या सुलभ कोई भी स्थान और इसमें कोई भी सार्वजनिक परिवहन शामिल होगा।"

24. सार्वजनिक स्थान की इसी परिभाषा को 27 मार्च, 1979 और 19 सितंबर, 1980 की अधिसूचनाओं में शामिल किया गया था।उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचनाओं में 'सार्वजनिक स्थान' को 'जनता द्वारा उपयोग के लिए आशयित या सुलभ' के रूप में परिभाषित किया है और इसमें कोई भी सार्वजनिक परिवहन शामिल होगा। यह स्पष्ट है कि अधिसूचना में निजी वाहन को शामिल नहीं किया गया था और राज्य ने उपर्युक्त अधिसूचनाओं के तहत 'निजी वाहन' में किसी भी मादक पदार्थ के कब्जे और सेवन को प्रतिबंधित नहीं किया था। लेकिन बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 के बाद उपरोक्त अधिसूचनाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं, जो संशोधन बिहार उत्पाद शुल्क नीति, 2015 को लागू करने के लिए कानून लाया गया था।बिहार उत्पाद शुल्क नीति, 2015 राज्य द्वारा मद्यनिषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयार की गई थी।

25. बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा लाई गई धारा 2 (17ए) की परिभाषा में सार्वजनिक परिवहन का लोप यह भी दर्शाता है कि सांविधिक संशोधन में सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन के बीच के अंतर को हटा दिया गया था। हम, इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वत वकील की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि धारा २ (१७ए) में निहित 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा से निजी वाहन को बाहर रखा जाएगा. इस संदर्भ में, हम अपने समक्ष उद्धृत केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश अर्थात् मणिकंदन बनाम केरल राज्य, (1999) 2 केएलटी 592 के निर्णय पर भी ध्यान दे सकते हैं। उपरोक्त मामले में पुलिस के सहायक उप निरीक्षक को सड़क पर खड़ी एक मारुति कार मिली, आरोपी संख्या 2 और 3 कार के अंदर थे और शराब पी रहे थे। आरोपी का मामला था कि कथित अपराध एक सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया गया था, इसलिए, धारा 15 सी के प्रावधान लागू नहीं हुए।निर्णय के पैराग्राफ 3 और 4 में निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

"3. इस मामले में आरोप पत्र अनुलग्नक ख के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सूचना विवरण और आरोप पत्र से पता चलता है कि 22 दिसम्बर, 1998 को सहायक पुलिस उप निरीक्षक, वडक्कनचेरी को व्यास कॉलेज बस स्टॉप के पास सड़क पर एक मारुति कार खड़ी मिली। आरोपी 2 और 3 कार के अंदर थे।पहला आरोपी बाहर था। वे शराब पी रहे थे।इस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अब, याचियों के लिए यह तर्क दिया गया है कि कथित अपराध एक सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया गया था और इसलिए अधिनियम की धारा १५ सी के प्रावधान लागू नहीं हुए थे. केवल कार के अंदर पाए गए याचिकाकर्ताओं 2 और 3 के संबंध में तर्क को स्वीकार किया जाना है. धारा 15ग के स्पष्टीकरण 1 में "सार्वजनिक स्थान" को सड़क न्यायालय, पुलिस स्टेशन आदि के रूप में परिभाषित किया गया है।"

4. इसमें एक सार्वजनिक यात्री वाहन भी शामिल है। स्पष्टीकरण II यह स्पष्ट करता है कि 'सार्वजनिक यात्री वाहन' शब्द में कोई ऐसा वाहन शामिल नहीं है जो किराए या अनुबंध के तहत यात्रियों को ले जाता हो। इसलिए टैक्सी वाहनों को भी इससे बाहर रखा जाएगा। सड़क पर चलने वाली निजी कार भी स्पष्ट रूप से परिभाषा के दायरे में नहीं आ सकती। इसलिए सड़क के किनारे खड़ी निजी कार को भी सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता। इसलिए याचिकाकर्ता 2 और 3 (आरोपी 2 और 3) के खिलाफ आरोप नहीं लगाया जाएगा।इसे खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, आरोप यह है कि पहला आरोपी सड़क पर ही पाया गया था। इसलिए उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ता है। वह निचली अदालत के समक्ष अपना बचाव कर सकता है।"

26. यह नोट किया जाना चाहिए कि 21.06.1999 को विद्वत एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय के बाद, धारा 15सी में निजी वाहनों को भी शामिल करके पूर्वोक्त निर्णय के आधार को हटाने के लिए संशोधित किया गया था.इस प्रकार केरल का निर्णय केरल राज्य में लागू कानूनी प्रावधानों पर था और स्पष्ट रूप से अलग है।

27. अब, हम अपीलकर्ताओं के अन्य प्रतिवेदन पर आते हैं कि धारा 53 (ए) के तहत अपराध केवल तभी माना जा सकता है जब अपीलकर्ता सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'शराब का सेवन करता है' शब्दों को अपराध गठित करने के लिए अर्थ और सार देना होगा.'consumes' शब्द एक verb transitive है। 'उपभोग' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

> उपभोग करें -1. पदार्थ को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से धीरे - धीरे उपयोग करना या समाप्त होना, जैसे कि घर को जलाकर या खाकर आगे से भस्म कर दिया गया हो। 2. व्यर्थ खर्च करने के लिए उन्होंने चार महीने के भीतर अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया। 3. उपयोग (समय, संसाधन, आदि), चाहे सार्थक हो या निष्फल, 45% हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। 4. इन परिसरों में शराब का सेवन न करने के लिए खाने या पीने के लिए इनफ्लेशन का सेवन किया जा सकता है। 5. अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपराधबोध से ग्रस्त हो गई थी।"

28. जब 'उपभोग' शब्द के बाद 'शराब' शब्द आता है, तो क्रिया द्वारा निरूपित क्रिया धारा 53 (क) के अर्थ के भीतर अपराधों को गठित करने के लिए कर्ता से कर्म अर्थात् शराब में बदल जाती है।शराब पीने की कार्रवाई बिहार राज्य के भीतर होनी चाहिए।किसी अन्य राज्य में शराब पीने वाले व्यक्ति पर धारा 53 (ए) के तहत तब तक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि यह साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य न हों कि आरोपी द्वारा शराब का सेवन बिहार राज्य में किया गया है।हम इस बिंदु पर आगे नोटिस कर सकते हैं कि अब बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के अनुसार अपराधों की एक और श्रेणी, जिसे धारा 37 में शामिल किया गया है, धारा 37 की उप-धारा नशे की हालत में उस पर धारा 37 (बी) के तहत अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 37 (बी) में किसी अपराध का प्रावधान नहीं है, इस प्रकार बिहार राज्य में शराब की खपत होनी चाहिए। हालांकि, हम इस अपील में उपरोक्त मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में यह आरोप लगाया गया है कि बिहार राज्य के भीतर शराब की खपत हुई है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका निर्णय चार्जशीट के माध्यम से रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री को देखने के बाद

विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने की आवश्यकता है. वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमारा विचार है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति यह प्रावधान करने में की जानी चाहिए कि अपीलकर्ता विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्मोचन के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार उन्मोचन के कथित आवेदन का निर्णय करेंगे।

29. परिणामस्वरूप, हम यह प्रावधान करते हुए इस अपील का निपटारा करते हैं कि अपीलकर्ता को एक फाइल करने की स्वतंत्रता होगी। विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्मोचन के लिए आवेदन, जो कानून के अनुसार अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदन का निर्णय करेगा।

(अशोक भूषण), न्यायमूर्ति

(के. एम. जोसेफ), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली,

01 जुलाई, 2019

**खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**